रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

सत्यमेव जयते

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 27] नई दिल्ली, मंगलवार, जनवरी 20, 2009/पौष 30, 1930
No. 27] NEW DELHI, TUESDAY, JANUARY 20, 2009/PAUSA 30, 1930

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

(सड़क परिवहन और राजमार्ग विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 20 जनवरी, 2009

सा.का.नि. 37(अ).—केन्द्रीय मोटरयान (संशोधन) नियम, 2008 का प्रारूप मोटरयान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा 212 की उप-धारा (1) की अपेक्षानुसार भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उप-खण्ड (i) तारीख 18 जुलाई, 2008 को भारत सरकार के पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रलय (सड़क परिवहन और राजमार्ग विभाग) की अधिसूचना संख्यांक सा.का.नि. 546(अ) तारीख 18 जुलाई, 2008 को प्रकाशित किए गए थे जिससे ऐसे व्यक्तियों से जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना थी, उस तारीख से जिसको उक्त अधिसूचना वाली राजपत्र की प्रतियाँ जनता को उपलब्ध कराई गईं थीं से साठ दिन की अवधि की समाप्ति से पूर्व आक्षेप और सूझाव मांगे गए थे ;

और, राजपत्र की प्रतियाँ जिसमें उक्त अधिसूचना प्रकाशित थी, जनता को 23 जुलाई, 2008 को उपलब्ध करा दी थी;

और, केन्द्रीय सरकार द्वारा उक्त अधिसूचना की बाबत विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर जनता से प्राप्त आक्षेपों और सुझावों पर विचार कर लिया गया है;

अत:, अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 88 द्वारा प्रदत्त् शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय मोटर यान नियम, 1989 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केन्द्रीय मोटरयान (प्रथम संशोधन) नियम, 2009 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. केन्द्रीय मोटरयान नियम, 1989 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है) के नियम 2 के खंड (फ) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

'(ब) "राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र" का वही अर्थ होगा जो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड अधिनियम, 1985 (1985 का 2) की धारा 2 के खंड (च) में इसे समनुदेशित किया गया है'

3. उक्त नियमों के नियम 85 के उप-नियम (4) में निम्नलिखित परंतुक अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"परंतु जहां ऐसा पर्यटक यान राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में रजिस्ट्रीकृत है वहाँ यह तब तक राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में अनन्यत: पड़ने वाले स्थानों पर वृत्ताकार पर्यटन को लागू नहीं होगा जब तक यह नियम 115 के उप-नियम (14) में विनिर्दिष्ट सामूहिक उत्सर्जन मानक (भारत प्रक्रम-III) के अनुरूप न हो ।"

4. उक्त नियमों के नियम 90 के उप-नियम (7) में निम्नलिखित परंतुक अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"परंतु जहाँ ऐसा यान राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में रजिस्ट्रीकृत है वहाँ राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में स्थित दो स्थानों के बीच तब तक माल उठाया या उतारा नहीं जाएगा जब तक वह नियम 115 के उप-नियम (14) में विनिर्दिष्ट सामूहिक उत्सर्जन मानक (भारत प्रक्रम-III) के अनुरूप न हो ।"

[फा. सं. आर टी-11011/1/2008-एमवीएल]

सरोज कुमार दास, संयुक्त सचिव

पाद टिप्पण :—मूल नियम सं. सा.का.नि. 590(अ) तारीख 2 जून, 1989 को प्रकाशित किए गए थे और अंतिम संशोधन सं. सा.का.नि. 784(अ) तारीख 12-11-2008 द्वारा किया गया ।

MINISTRY OF SHIPPING, ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

(Department of Road Transport and Highways)

NOTIFICATION

New Delhi, the 20th January, 2009

G.S.R. 37(E).—Whereas, the draft Central Motor Vehicles (Amendment) Rules, 2008 were published as required under sub-section (1) of Section 212 of the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988), in the notification of the Government of India in the Ministry of Shipping, Road Transport and Highways (Department of Road Transport & Highways), Number G.S.R. 546(E), dated the 18th July, 2008 in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section, 3, Sub-section (i) dated the 18th July, 2008, inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby, before expiry of sixty days from the date on which copies of the Gazette of India containing the said notification were made available to the public;

And, whereas, copies of the Gazette in which the said notification was published were made available to the public on the 23rd day of July, 2008;

And, whereas, the objections and suggestions received in respect of the said draft rules within the specified period have been considered by the Central Government;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Section 88 of the said Act, the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Central Motor Vehicles Rules, 1989, namely :—

1. (1) These rules may be called the Central Motor Vehicles (First Amendment) Rules, 2009.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Central Motor Vehicles Rules, 1989 (hereinafter referred to as the said rules), in rule 2, after clause (v), the following clause shall be inserted, namely :—

'(w) "National Capital Region" shall have the meaning assigned to it in clause (f) of Section 2 of the National Capital Region Planning Board Act, 1985 (2 of 1985)'

3. In the said rules, in rule 85, in sub-rule (4), the following proviso shall be inserted, namely :—

"Provided that where such tourist vehicle is registered in the National Capital Region, it shall not operate circular tours of places lying exclusively in the National Capital Region unless it conforms to the mass emission standards (Bharat Stage-III) specified in sub-rule (14) of rule 115."

4. In the said rules, in rule 90, in sub-rule (7), the following proviso shall be inserted, namely :—

"Provided that where such vehicle is registered in the National Capital Region, it shall not pick up or set down goods between two points situated in the National Capital Region unless it conforms to the mass emission standards (Bharat Stage-III) specified in sub-rule (14) of rule 115."

[F. No. RT-11011/1/2008-MVL]

SAROJ KUMAR DASH, Jt. Secy.

Foot Note :— The principal rules were published *vide* number G.S.R. 590(E), dated the 2nd June, 1989 and last amended *vide* number G.S.R. 784(E), dated the 12-11-2008.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.